

7/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप कोर्ट  
मुंडारी में खरहुई वकील वादी उपर  
पत्रावली का अवलोकन राजस्व लोक अदालत  
की भावना से अवलोकन किया गया।  
मनन किया गया। सुधी डाय प्रहुर  
प्रथम पत्र अर्थात् RTA न्यायालय के पूर्व  
आदेश दि 20/11/13 को मूल वाद के  
पलन तक चर्चा में किया जाएगा।  
उभय पक्ष को पारदर्शिता में किया जाएगा कि  
राजस्व रिवाइज की परामर्श बनाकर  
पत्रावली के हल सुमा है। फर्म नमर है  
काप है

~~\_\_\_\_\_~~  
HADI B का मुंडारी